

मूल चल/अचल संपत्ति रा कागदां ने वापस देवण री प्रक्रिया

1. पृष्ठभूमि अर उद्देश्य:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आपरा सर्कुलर नंबर RBI/2023-24/60 तारीख 13 सितंबर, 2023 रे जरिये NBFCs रा निदेशक मंडळां ने सलाह दी ही के वे मूल चल/अचल संपत्ति रा कागदां ने वापस देवण सारू सही आंतरिक सिद्धांत अर प्रक्रियावां बणावे।

माथे बताया गया सर्कुलर री निरंतरता में, RBI, NBFCs ने नीचे दिया गया निर्देश जारी कर्या है:

इकला कर्जदार या संयुक्त कर्जदारां री मौत री आकस्मिक घटना ने संभालण सारू, NBFCs कनै मालिकां/कानूनी वारिसां ने मूल चल/अचल संपत्ति रा कागद वापस देवण सारू एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया ढ़ैवणी चाहिजे। इसी प्रक्रिया ने, गाहकां री जाणकारी सारू, दूजी इणी तरियां री नीतियां अर प्रक्रियावां साथै NBFCs री वेबसाइट पर दिखायो जावणो चाहिजे।

माथे बताई ज्यी RBI नियमां री जरूरतां री पालना में, Oxyzo Financial Services Limited आ प्रक्रिया अपनाई है। इण प्रक्रिया ने हमेशा RBI रा दिसा-निर्देशां, निर्देशां, सर्कुलरां अर हिदायतां रे साथै ही पढ़णो चाहिजे।

2. मालिक ने संपत्ति रा कागद वापस देवणो

- मूल संपत्ति रा कागद जिका कर्जदार द्वारा कर्ज री मंजूरी रे बगत दिया गया हा, वे कर्ज खाता रो पूरो भुगतान/बंद ढ़ैवा रा 30 कामकाजी दिनां रे भीतर कर्जदार(रां) ने सौंप दिया जावेला।
- मूल संपत्ति रा कागद Oxyzo रा मुख्य कार्यालय, 101, First Floor, Vipul Agora Mall, MG Road, Gurugram - 122001 पर पाछा लेवण सारू मौजूद ढ़ैवेला।
- संपत्ति रा मालिक(कां) री दुर्भाग्यपूर्ण मौत री स्थिति में, कागद कानूनी वारिस(सां)/उत्तराधिकारियां ने सौंपा जा सके है।

3. कानूनी वारिस

कानूनी वारिस रो मतलब कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला है, जिको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 रे तहत बिना वसीयत मरा व्यक्ति (एक व्यक्ति ने उण संपत्ति रे संबंध में बिना वसीयत मर्यो मान्यो जावे है जीं रो उण ने कोई वसीयती निपटान नी करयो हो जिको लागू ढ़ै सके) री संपत्ति रो वारिस ढ़ैवा रो हकदार है। नामांकित व्यक्ति रे विपरीत, कानूनी वारिस वे व्यक्ति है जीं ने मरी ज्यी व्यक्ति री धन/संपत्ति/जायदाद पर हस्ताक्षरित कानूनी वसीयत रे तहत अधिकार अर हक ढ़ैवे है।

4. दावो करण आळा (कानूनी वारिस/लाभार्थी) द्वारा जरूरी कागदां रा प्रकार:

- गिरवी राखण आळा रो मृत्यु प्रमाण पत्र।
- कानूनी वारिस प्रमाण पत्र अर कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।

- व्यक्ति री मौत पर दूजा कानूनी वारिसां सूँ NOC साथै प्राधिकरण पत्र।
- कागद लेवता बगत कानूनी वारिस द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा।
- सगळा दावो करण आळां रा पिछाण पत्र।
- सगळा दावो करण आळां रा पता रा प्रमाण।
- सक्षम क्षेत्राधिकार आळी अदालत द्वारा दियो गयो प्रोबेट। (जठे संपत्ति वसीयत रे जरिये स्थानांतरित व्हे री है)

5. कर्ज देवण आळा री हिरासत में राखी ज्यी संपत्ति या संपत्ति सूँ जुड़ा कागदां ने पावण सारू कानूनी वारिस/लाभार्थी सारू जरूरी कागदां रो और विभाजन:

- **मृत्यु प्रमाण पत्र:** मृत्यु प्रमाण पत्र उण जगह रा रजिस्ट्रार/ब्लॉक विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी अर ग्राम सेवक (सिरफ गांवां सारू) द्वारा जारी करयो गयो एक आधिकारिक कानूनी कागद है, जीं पर उणां री मोहर साथै सही तरियां सूँ हस्ताक्षर व्हेवे है।
- **कानूनी वारिस प्रमाण पत्र:** एक कानूनी वारिस प्रमाण पत्र, जिला रा तहसीलदार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा उणां सारू जारी करयो गयो कागद है जीं रा माता-पिता/पति-पत्नी बिना कोई वसीयत छोड़या मर गया व्हेवे। आ मरी ज्यी व्यक्ति अर कानूनी वारिस रे बीच संबंध स्थापित करण सारू जरूरी है ताके धन अर संपत्ति/जायदाद पर दावो करयो जा सके।
- **कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र:** आ एक सक्षम क्षेत्राधिकार आळी अदालत द्वारा जारी करयो गयो एक प्रमाण पत्र/आदेस है जीं में मरी ज्यी व्यक्ति रा कानूनी वारिसां रा नाम अर मरी ज्यी व्यक्ति री संपत्ति में उणां रा हिस्सा रो प्रतिशत बतायो जावे है। एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक इसो कागद है जिको कागद में बताया गया व्यक्ति ने मरी ज्यी व्यक्ति रा "कर्ज अर प्रतिभूतियां" (यानी क्रेडिट शेष अर हस्तांतरणीय प्रतिभूतियां) वसूल करण रो अधिकार देवे है।
- **हलफनामो:** हलफनामो जीं में बतायो गयो व्हेवे के वे ही मरी ज्यी व्यक्ति रा एकला कानूनी वारिस है जिका बिना वसीयत उत्तराधिकार में मरी ज्यी व्यक्ति री संपत्ति रा हकदार है।
- **हलफनामो/NOC साथै प्राधिकरण पत्र:** जद एक सूँ ज्यादा कानूनी वारिस व्हेवे तो हलफनामो/NOC साथै प्राधिकरण पत्र री जरूरत पड़े है, जीं पर सगळा कानूनी वारिसां रा उण सम्बंधित व्यक्ति रे पक्ष में हस्ताक्षर व्हेवणा चाहिजे जिको उण कर्ज खाता रा LOD में बताया गया सगळा कागद लेवे है। अर NOC/हलफनामो कोई राजपत्रित अधिकारी द्वारा नोटरी करयोड़ो व्हेवणो चाहिजे।
- **प्रोबेट:** 'प्रोबेट' रो मतलब है कोई वसीयत री वा कॉपी जीं पर सक्षम क्षेत्राधिकार आळी अदालत री मोहर लाग्योड़ी व्हेवे अर जीं में वसीयत करण आळा री संपत्ति रा प्रसासन री मंजूरी दी ज्यी व्हेवे।
- **कानूनी प्रतिनिधित्व:** आ एक अदालत रो आदेस है ज्यूँ प्रोबेट करी ज्यी वसीयत, प्रसासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, जिको कुछ व्यक्ति(यां) ने मरी ज्यी व्यक्ति ने मिळण आळी रकम वसूल करण सारू अधिकार देवे है।

- **प्रोबेट करी ज्यी वसीयत:** आ वसीयत री एक कॉपी है जीं पर सक्षम क्षेत्राधिकार आळी अदालत री मोहर लाग्योड़ी व्हेवे है, जिकी आ पक्को करे है के वसीयत सही तरियां सूं बणाई ज्यी है अर उण पर अमल करयो जा सके है। आ एक मरी ज्यी व्यक्ति री संपत्ति रो प्रसासन करण री कानूनी प्रक्रिया/अदालत रो आदेस है, जीं में सगळा दावां रो निपटारो कर'र मरी ज्यी व्यक्ति री संपत्ति ने एक वैध वसीयत रे तहत बांट्यो जावे है। बैंक ने प्रोबेट/अदालत रा आदेस रे मुजब काम करणो व्हेवे है।
- **प्रसासन पत्र:** जठे कोई वसीयत नी व्हेवे या जद कोई व्यक्ति बिना कोई निष्पादक नियुक्त कर्या वसीयत छोड़'र मर जावे या जे वसीयत द्वारा नियुक्त करयो गयो कोई निष्पादक कानूनी रूप सूं अक्षम व्हेवे या काम करण सूं मना कर देवे या जिको वसीयत करण आळा सूं पे'ला या वसीयत साबित करण सूं पे'ला मर गयो व्हेवे, तो एक सक्षम अदालत द्वारा एक प्रसासक नियुक्त करयो जा सके है, जिको एक निष्पादक सूं अलग व्हेवे है जीं ने कोई व्यक्ति आपरी वसीयत या कोडिसिल द्वारा नियुक्त कर सके है।

6. Oxyzo द्वारा संपत्ति रा कागद जारी करण सारू पे'ला री सरतां

- दावो करण आळो एक कानूनी वारिस या हकीकत रो दावो करण आळो साबित व्हेवे।
- Oxyzo द्वारा कोई बकाया नी व्हेवा रो प्रमाण पत्र जारी करयो जावे।
- जठे भी जरूरी व्हेवे, पोर्टलां पर चार्ज पूरा करयो जावे।
- गिरवीनामा रो रद्दीकरण, जे पंजीकृत गिरवी व्हेवे तो।
- कानून रे मुजब अयोग्य नी व्हेवे।

7. कुछ अयोग्यतावां नीचे दी ज्यी है

हत्या रे कारण अयोग्यता

अधिनियम री धारा 25 एक हत्यारा ने उण व्यक्ति री संपत्ति रो वारिस बणण सूं अयोग्य ठहरावे है जीं री उण ने हत्या करी है। उण ने अस्तित्वहीन मान्यो जावे है अर वंश-परंपरा रो हिस्सो नी मान्यो जावे है (निरभई सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब अर अन्य, 2017)। इण धारा रे तहत एक हत्यारा में वो व्यक्ति भी शामिल है जिको इसा अपराध में मदद करे है या उकसावे है।

धर्म बदलण रे कारण अयोग्यता

अधिनियम री धारा 26 उण व्यक्ति या उण रा बाळकां ने, जिका धर्म बदळ्या पछै पैदा व्हिया व्हेवे, अयोग्य ठहरावे है, जिको हिंदू धर्म सूं कोई दूजा धर्म में बदळ जावे है। उणां रा वंसजां रा वारिस बणण री एक ही सरत है के वे उत्तराधिकार रे बगत हिंदू व्हेवणा चाहिजे। धारा 27 आगे अयोग्यता रो असर बतावे है अर उल्लेख करे है के कोई भी अयोग्यता री स्थिति में, संपत्ति रो उत्तराधिकार आ मान'र करयो जावेला के अयोग्य व्यक्ति बिना वसीयत मरा व्यक्ति सूं पे'ला मर गयो हो।

8. मरी ज्यी कर्जदार(रां) रा मूळ संपत्ति रा कागदां ने कानूनी वारिसां/लाभार्थी(यां) ने जारी करण री प्रक्रिया

क्र.सं.	कागद
1.	मृत्यु प्रमाण पत्र री कॉपी- मूळ मृत्यु प्रमाण पत्र साथै मिलाण करी जावेला।
2.	कानूनी वारिस प्रमाण पत्र अर कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र री कॉपी - मूळ कानूनी वारिस प्रमाण पत्र अर कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र साथै मिलाण करी जावेला।
3.	प्रोबेट री कॉपी ('वसीयत' रे जरिये स्थानांतरित संपत्ति) - मूळ प्रोबेट साथै मिलाण करी जावेला।
4.	नोटरी करयोडो कानूनी वारिस रो हलफनामो/ लाभार्थी रो हलफनामो मरी ज्यी संपत्ति रा मालिक रा सगळा कानूनी वारिसां सूं लियो जावेला।
5.	सगळा कानूनी वारिस/लाभार्थी रा पिछाण पत्र अर पता रा प्रमाण री कॉपी- मूळ कागदां साथै मिलाण करी जावेला।
6.	प्राधिकरण पत्र / POA जिको दूजा कानूनी वारिसां द्वारा कोई एक कानूनी वारिस(सां)/लाभार्थी(यां) रे पक्ष में मूळ संपत्ति रा कागद लेवण सारू बणायो गयो व्हेवे।
7.	पावती कानूनी वारिस(सां)/मरी ज्यी संपत्ति रा मालिक रा लाभार्थी(यां) ने सौंपा गया कागदां री सूची पर ली जावणी चाहिजे, जिकी मूळ संपत्ति रा कागद लेवण री पुष्टि करे है।

9. प्रक्रिया री समीक्षा

इण प्रक्रिया री समीक्षा नियामक दिसा-निर्देशां / आंतरिक जरूरतां रे मुजब या जदी भी जरूरी समझ्यो जावे, करी जावेला।